

राजस्थान सरकार
संसादीय कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(6)संसाद/86

जयपुर, दिनांक: 12/01/2021

परिपत्र

विषय:- राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 की धारा 26-क के तहत राजस्थान अधिनियमों के अधीन बनाए गए समस्त नियमों के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं/विज्ञप्तियों की प्रतियां विधानसभा के पटल पर रखने वावत।

16वीं राजस्थान विधान सभा का पंचम सत्र बुधवार, दिनांक 28 जनवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ होने जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से ये समस्त सूचनाएं जो विन्हीं विधियों अथवा नियमों के अन्तर्गत जारी की गयी हैं तथा जिनका विधानसभा से अनुसमर्थन अपेक्षित है अथवा जो विधानसभा के पटल पर रखी जानी है, के संबंध में राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली का नियम-169 निम्न प्रकार उद्धृत है :-

"169 विनियम, नियम आदि का सदन की मेज पर रखा जाना" :-

1. जब संविधान के या विधानसभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधान कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि सदन के सामने रखी जाये, तो संविधान का तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने तथा बाद में, सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी, जब तक कि संविधान या संगत अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो।
2. जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जावे।"

उपरोक्त प्रक्रिया नियमों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा किसी राजस्थान अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियमों के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं/विज्ञप्तियों की प्रतियां विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 26-क जो कि राजस्थान राज पत्र दिनांक 30.1.1993 को जारी की गयी है, निम्न प्रकार उद्धृत की जाती है :-

"26(क) नियमों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना" :-

किसी राजस्थान अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष कुल 14 दिन की कालावधि के लिये, जो एक या अधिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उक्त कालावधि के दौरान राज्य विधान मण्डल उनमें कोई उपान्तरण करता है तो, तत्पश्चात्, वे नियम, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात को विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे।

जहाँ राजस्थान राज्य में प्रवृत्त या लागू और ऐसे मामलों से, जिनके कि बारे में राज्य विधान मण्डल को राज्य के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है, संबंधित कोई भी केन्द्रीय अधिनियम राज्य सरकार को उसके अधीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है वहां उपधारा (1) के उपबन्ध, ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी भी स्पष्ट उपबन्ध के, अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों पर यथाशक्य लागू होंगे।"

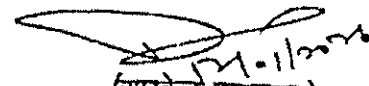
राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 की उपरोक्त उद्धृत धारा 26-क के निर्देश सामान्य उपयोजन के लिए लागू किये गये हैं। इस प्रावधान के अलावा कतिपय अधिनियमों या उन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में यह निर्देश हो सकता है कि कोई विशिष्ट आदेश (अधिसूचना) सदन के पटल पर अनुसमर्थन हेतु रखा जाना है। ऐसे निर्देश की पालना में उक्त विशिष्ट आदेश जिस अधिसूचना से प्रकाशित होंगे, वह अधिसूचना भी सदन के पटल पर रखी जायेगी।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगणों का ध्यान उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधानों के परिपेक्ष्य में आकर्षित करते हुए निवेदन है कि उनके द्वारा निम्न निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है :-

1. ये समस्त अधिसूचनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान अधिनियम अथवा राजस्थान राज्य में प्रवृत्त या लागू कोई भी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनाए गए उन समस्त नियमों या संशोधनों के लिए जारी की गयी, जो आने वाले विधानसभा सत्र से पूर्व तथा पिछले सत्र की समाप्ति के बाद विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गयी हैं तथा जिनका विधानसभा से अनुसमर्थन अपेक्षित हो अथवा जो विधानसभा के पटल पर रखी जाना उपयुक्त समझी जाए, उनकी पांच प्रतियां विधानसभा के सत्र आरम्भ होने की तिथि से पूर्व ही विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत की जावे।
2. विधान सभा सचिवालय को भेजी जाने वाली अधिसूचनाओं के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को पूर्व में ही पूरी जानकारी देते हुए उनके साथ विस्तृत चर्चा कर ली जाये तथा उन अधिसूचनाओं की दो प्रतियां माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से अधिप्रमाणित कर भिजवायी जावे।
3. विधानसभा सचिवालय के पटल पर प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनाओं के विधानसभा के पटल पर सत्र के दौरान जिस तिथि एवं समय पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उस तिथि एवं समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी की गयी दैनिक कार्यसूची के आधार पर जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जाये कि अधिसूचना के प्रस्तुतीकरण के समय संबंधित अधिकारी विधानसभा में उपस्थित रहें, ताकि अधिसूचनाओं के संबंध में किसी भी प्रस्ताव के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाना अथवा तत्संबंधी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।
4. विधानसभा सचिवालय द्वारा किसी अधिनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधि कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियमों, नियमों, उप-नियमों, उप-विधि आदि से संबंधित अधिसूचनाएं एवं तत्संबंधी सामग्री रादन के पटल पर रखवाए जाने वाले पत्रादि के संबंध में संविधान, समविधि आदि के लिए जिस प्रावधान के अन्तर्गत रखवाए जाने हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख कर विधान सभा सचिवालय को भिजवायी जावे, ताकि उनको सदन की मेज पर रखे जाने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

जो अधिसूचनाएं विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जाती हैं उनके संबंध में अनुपालना रिपोर्ट से अति० मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय एवं संसदीय कार्य विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करावें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।


(राधवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव
संसदीय कार्य विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय उपमुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- ✓ 5. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
6. रक्षित पत्रावली।


(प्रेमनारायण)
वरिष्ठ शासन उप सचिव